

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/2492

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रशान्त शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 24.08.20

अप्रार्थीगण

1 पीराराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी
रेल्वे स्टेशन जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।


1 शेराराम 2 कूम्याराम 3 टीकमाराम
पिसरान तगाराम 4 सगनाराम 5 हींजाराम
पिसरान पेमाराम 6 नेनूदेवी पत्नी पेमाराम 7
खेताराम 8 हरखाराम पिसरान पोकरराम 9
समजूदेवी पत्नी पोकरराम जाति मेघवाल
निवासी मंशोणियों की बस्ती, जसाई
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 44/2020

दिनांक- 24/09/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मंशोणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 371/109 रकबा 19.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(प्रशान्त शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 24.08.20

क्रमांक :- रीडर/2020/2493-95

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पीराराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी शेराराम पुत्र तगाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मंशोणियों की बस्ती, जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर